भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 936
10.02.2025 को उत्तर के लिए

नगर वन योजना

936. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी :
श्री बस्तीपति नागराजू :

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नगर बन योजना के आरंभ से इसके अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित परियोजनाओं/प्रस्तावों की संख्या संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजनाओं की वर्षबार राज्यवार और विशेषकर आंध्र प्रदेश में जिलावार वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) इस योजना के आरंभ से आबंटित, जारी की गई और उपयोग की गई कुल धनराशि का राज्यवार और वर्षवार तथा आंध्र प्रदेश के जिलों सहित ब्यौरा क्या है;
(ग) इस योजना के अंतर्गत आज तक स्थापित किए गए नगर बनों/वाटिकाओं की कुल संख्या का वर्षवार, राज्यवार और विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में जिलावार ब्यौरा क्या है;
(घ) नगर वन योजना के अंतर्गत अपनाई गई नगर वनों/वाटिकाओं की स्थापना की पद्धति का ब्यौरा क्या है;
(ङ) इस योजना को अपनाए जाने के कारण राज्यवार विशेषकर आंध्र प्रदेश में हरित क्षेत्र के क्षेत्रफल में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;
च) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत नगर वनों/वाटिका की स्थापना के लिए मियावाकी पद्धति अपनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(छ) क्या सरकार का विचार उक्त योजना को 2024-25 से आगे बढ़ाने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (छ) नगर वन योजना (एनवीवाई) वित्तीय वर्ष 2020-21 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में नगर वन सृजित करना तथा स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय निकायों आदि की भागीदारी से शहरी वानिकी को बढ़ावा देना है। नगर वन योजना में नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) वाले शहरों में 1000 नगर वन/नगर वाटिका सृजित करने की परिकल्पना की गई है, ताकि निवासियों को स्वास्थ्यवर्धक वातावरण उपलब्ध

कराया जा सके और इस प्रकार स्वच्छ, हरित, स्वस्थ और संधारणीय शहरों के विकास में योगदान दिया जा सके। नगर वन योजना 2026-27 तक कार्यान्वित रहेगी और आंध्र प्रदेश सहित 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 544 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसका ब्यौरा **अनुबंध-क** में दिया गया है।

नगर वन/वाटिका की स्थापना के लिए, संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात् प्रस्तावित भूमि के कब्जे वाली एजेंसी द्वारा नगर वन/नगर वाटिका की स्थापना और रखरखाव के लिए एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाता है। कार्यान्वयन एजेंसी राज्य वन विभाग (एसएफडी) को प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, जो उचित जांच के बाद प्रस्ताव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित करता है। मंत्रालय में प्राप्त प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाता है और उपयुक्त पाए गए प्रस्तावों को प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) के माध्यम से अनुमोदित और वित्त पोषित किया जाता है। नगर वन/नगर वाटिका विकसित करने में शामिल एजेंसी प्रति वर्ष सभी कार्यकलापों की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट और फोटो, भौतिक और वित्तीय प्रगति आदि के ब्यौरे के साथ विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट निगरानी के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के वन विभाग को भेजती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का वन विभाग योजना के तहत कार्यकलापों की प्रगति और पूर्णता की निगरानी करता है और उसकी रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत करता है।

मंत्रालय ने नगर वन विकसित करने के लिए नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका की सीमा 5 किमी से बढ़ाकर 10 किमी कर दी है और देशी तथा स्वदेशी प्रजातियों के वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया है। केंद्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित नगर वन योजना सहित विभिन्न वनरोपण और पुनर्वनीकरण योजनाओं के परिणामस्वरूप, भारत वन स्थिति रिपोर्ट वर्ष 2023 के अनुसार, 2021 के पिछले आकलन की तुलना में देश के वृक्ष और वन आवरण में 1445.81 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। विभिन्न राज्यों ने पायलट या प्रायोगिक आधार पर अपने स्वयं के संसाधनों के माध्यम से वृक्षारोपण की मियावाकी पद्धति सहित कई तकनीकों को अपनाया है।

*****

अनुबंध-क

'नगर वन योजना' के संबंध में श्री जी. एम. हरीश बालयोगी और श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा दिनांक 10.02.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 936 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

नगर वन योजना (एनवीवाई) का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहरों की संख्या	कुल स्वीकृत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल स्वीकृत लागत (लाख रुपये में)	कुल जारी की गई निधि
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	21.15	1	1	80.5	56.35
2	**आंध्र प्रदेश**	23	3203.41	76	61	11220.09	9913.94
3	अरुणाचल प्रदेश	1	20	4	1	80	80
4	असम	3	59	3	3	242.3	169.61
5	बिहार	5	113.02	8	6	457.88	426.9
6	चंडीगढ़	1	6.79	1	1	19.16	13.41
7	छत्तीसगढ	6	244.63	26	6	986.32	690.42
8	गोवा	1	50	1	1	205.3	205.3
9	गुजरात	7	188.5	12	11	755	743
10	हरियाणा	5	168.54	5	5	641.46	449.02
11	हिमाचल प्रदेश	4	172.07	7	6	694.08	485.86
12	जम्मू और कश्मीर	25	466.17	40	40	1858.67	1408.41
13	झारखंड	14	597.86	33	30	2381.49	1812.34
14	कर्नाटक	15	868.11	81	26	3164.97	2215.46
15	केरल	22	342.06	27	22	1357.04	949.93
16	मध्य प्रदेश	38	1983.62	77	65	7329.97	5523.27
17	महाराष्ट्र	5	184.14	10	9	726.83	508.79
18	मणिपुर	1	50	11	1	205.3	143.71
19	मेघालय	2	86.7	2	2	346.8	242.76
20	मिजोरम	11	730.8	24	16	2928.8	2171.9
21	नगालैंड	11	701.7	44	27	2813.1	2024.58
22	ओडिशा	22	662.66	46	35	2672.94	1871.04
23	पंजाब	8	174.9	16	13	705.85	594.26
24	राजस्थान	15	823.92	26	23	3257.48	2280.24
25	सिक्किम	5	239.63	7	7	957.72	712.41
26	तमिलनाडु	8	435	12	10	1747.3	1223.11
27	तेलंगाना	27	1690.6	63	60	3532.6	2472.88
28	त्रिपुरा	4	124.5	6	4	504.8	504.8
29	उत्तर प्रदेश	19	1019.5	36	33	4003.05	2802.14
30	उत्तराखंड	5	99.27	5	5	375.28	290.42
31	पश्चिम बंगाल	10	97.48	18	14	395.57	276.93
	कुल	**324**	**15625.73**	**728**	**544**	**56647.65**	**43263.19**

****